ग्रामीण आवास और पर्यावास विकास के लिये अभिनव कार्यक्रम

वर्ष 1999-2000 से ग्रामीण आवास और पर्यावास विकास से संबंधित विशेष व अभिनव परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए ग्रामीण आवास संसाधनों का एक छोटा सा हिस्सा अलग निकालकर रखा गया हैं ।

1. मूलाधार, उद्देश्य और लक्षित समूह

कम लागत वाली पर्यावरण अनुकूल आवास/भवन निर्माण प्रौद्योगिकियों, डिजाइजनों और सामग्री का मानकीकरण करना, उन्हें और लोकप्रिय बनाना/बहुगुणित करना, प्रसार करना तथा कृषि-जलवायु के उतार-चढ़ावों और प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने में सक्षम ग्रामीण मानव बस्तियों के लिए आदर्श श्रेणियां विकसित करना इस योजना का मूलाधार हैं । ग्रामीण आवास और पर्यावास विकास के लिए इस अभिनव कार्यक्रम का उद्देश्य आधुनिक तथा विश्वसनीय प्रौद्योगिकियों, डिजाइनों और सामग्रियों को ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ावा देना/प्रचारित करना हैं । और फिर, चूंकि आवास निर्माण अब केवल चारदीवारी और छत बनाने तक ही सीमित नही रह गया है, बल्कि अब इस में उपयुक्त, स्थायी पर्यावासों का विकास भी सामिल हो गया हैं, बेहतर पर्यावास विकास को बढ़ावा देने वाली पहलों को प्रोत्साहित किया जाएगा ।

इस अभिनव कार्यक्रम के तहत परियोजना संबंधी सहायता के लिए आवेदनकर्ताओं में मान्यताप्राप्त शैक्षिक/तकनीकी संस्थान, प्रौद्योगिकी संवर्द्धन और प्रयोग का अनुभव रखने वाले निगमित निकाय और स्वायत्त सोसाइटियां, राज्य सरकारों तथा विकास संस्थान और ग्रामीण आवास निर्माण तथा पर्यावास आदि के क्षेत्र में प्रसिद्ध तथा अनुभवी विश्वसनीय गैर-सरकारी संगठन शामिल हैं ।

2. परियोजना जांच समिति

इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत की जाने वाली परियोजनाओं पर मंजूरी देने के लिए एक केन्द्रीय स्तर की जांच समिति द्वारा विचार किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :

सचिव, ग्रामीण विकास	अध्यक्ष
महानिदेशक, कपार्ट	सदस्य
अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय परामर्शदाता	सदस्य
प्रौद्योगिकी प्रसार के क्षेत्र में कार्यरत एक विश्वसनीय संस्थान का प्रतिनिधि	सदस्य
मुख्य परामर्शदाता, योजना आयोग	सदस्य
परामर्शदाता (ग्रामीण विकास), योजना आयोग	सदस्य
संयुक्त सचिव (ग्रामीण विकास)	सदस्य

3. परियोजना निर्माण के लिए व्यापक दिशा-निर्देश

1. परियोजना में विशेष रूप से आश्रय एवं पर्यावास विकास तथा आधारभूत स्तर पर अंतर-विभागीय और अंतर-शाखीय क्रियान्वयन सुविधाओं के समेकन के अभिनव तत्व शामिल होने चाहिए ।

2. परियोजना ऐसी होनी चाहिए कि प्रायोगिक अवस्था के पूर्ण होने के बाद इसे कई जगहों पर क्रियान्वित किया जा सकें ।

3. दूरस्थ, दुर्गम, आपदा प्रभावित और सामाजिक तथा आर्थिक संरचना की दृष्टि से अत्यंत पिछड़े इलाकों से जुड़ी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी ।

4. परियोजना में सामान्य विशेषताओं से भी परे कुछ ऐसा होना चाहिए, जिन्हें चालू ग्रामीण आवास कार्यक्रमों में सामान्य रूप से शामिल किया जा सके ।

5. परियोजना दस्तावेज में स्पष्ट रूप से प्रबंधकीय ढांचे, निगरानी व्यवस्था और क्रियान्वयन दायित्वों का उल्लेख होना चाहिए ।

6. गैर-सरकारी संगठन को अधिकतम 20 लाख रूपये का अनुदान दिया जा सकता है । प्रसिद्व शैक्षणिक/तकनीकी/अनुसंधान संस्थानों तथा डी0 आर0 डी0 ए0/जिला परिषद आदि सहित सरकारी संस्थाओं को अधिकतम 50 लाख रूपये तक का अनुदान दिया जा सकता हैं ।

7. परियोजना की कुल अवधि, सामान्य परिस्थितियों में 2 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

8. परियोजना में पद (पदों) के आवर्ती खच्र या रख-रखाव खर्च की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए । लेकिन परियोजना दस्तावेज में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख अवश्य होना चाहिए कि इस खर्च को कैसे या कहां से पूरा किया जाएगा ।

9. परियोजना में ही छीजती वनस्पति (बायोमास), आवास गुणवत्ता, बिगड़ते पर्यावास आदि जैसी विशिष्ट समस्याओं से निपटने के लिए स्थानीय स्थिति और संसाधन के सम्पूर्ण आँकलन पर आधारित सुविचारित नीति का उल्लेख आवश्यक हैं ।

10. परियोजना दस्तावेज में संभावित लाभार्थियों, लागत-लाभ विवरण, बहुगुण्न संभावनाओं, भौतिक परिसम्पत्तियों व वित्तीय विकास के रूप में संभावित परिणामों, अन्य गैर-सरकारी संगठनों के साथ सम्पर्क, संसाीगत सहयोग आदि का विवरण भी होना चाहिए ।

11. आवेदक संगठन द्वारा परियोजना अनुलग्नक । में दिय प्रारूप में दी जायेगी ।

4. वित्त व्यवस्था का स्वरूप

परियोजना जांच समिति द्वारा स्वीकृति के बाद संस्था को पैसा तीन किस्तों में जारी किया जायेगा जिसका ब्यौरा इस प्रकार हैः

40 प्रतिशत - पहली किस्त

40 प्रतिशत - दूसरी किस्त

20 प्रतिशत - तीसरी किस्त

अनुलग्न II तथा III में दिये क्रमशः प्रतिभू बांड और प्री-रिसिप्ट के प्रारूपों को भरने के बाद संस्था को पहली किस्त जारी की जाएगी ।

लेकिन दूसरी और तीसरी किस्त के जारी करने को मांग से पहले संस्था को अनुलग्नक iv में दिये प्रारूप के अनुसार नवीनतम लेखा-परीक्षण रिपोर्ट, उपयोगिता प्रमाण-पत्र और प्रगति रिपोर्ट भर कर देगी । परियोजना के आकलन के बाद ही संस्था को अंतिम किस्त जारी की जायेगी । यदि आकलन के दौरान संस्था के कार्य को संतोषजनक नहीं पाया गया तो अंतिम किस्त जारी नहीं की जायेगी । इसके अलावा, पैसा के गलत इस्तेमाल या इस्तेमाल न कर पाने को स्थिति में संगठन को सारे बचे हुये पैसे को ब्याज समेत एकमुश्त वापिस करने को कहा जायेगा ।

5. निगरानी और आकलन

परियोजना के क्रियान्वयन की निगरानी का काम निपयमित रूप से ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जायेगा । अनुलग्नक iv में दिये प्रारूप में संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट के आधार पर ऐसा किया जायेगा । परियोजना को समाप्ति पर मंत्रालय द्वारा इसका आकलन किया जायेगा । इसके अलावा ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास यह विकल्प भी रहेगा कि यदि यह चाहें तो संस्था की परियोजना का आकलन किसी भी समय किसी भी संस्था से करा सकता है ।

(अनुलग्नक - ।)

ग्रामीण आवास और पर्यावास विकास के लिये अभिनव कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्ताव जमा करने हेतु आवेदन का प्रारूप

(प्रस्ताव की चार प्रतियां सचिव (ग्रामीण विकास), ग्रामीण विकास मंत्रालय कृषि भवन, नई दिल्ली को जमा कराई जा सकती हैं ।)

संगठन का स्वरूप

1.	संगठन का नाम	:
2.	पंजीकृत पता	:
3.	डाक पता	:
4.	दूरभाष नं0	:
5.	फैक्स नं0	:
6.	संबंधित व्यक्ति (पद तथा पूरे पते के साथ)	:
7.	सोसायटी के तौर पर पंजीकरण का ब्यौरा (कृपया दस्तावेज साथ लगाये)	:
8.	अधिकारियों का ब्यौरा	:
9.	कर्मचारियों का ब्यौरा	:
10.	क्या आपने आवास परियोजना अथवा ग्रामीण विकास परियोजना पर पहले काम किया हैं (यदि हां, तो विभाग के नाम, परियोजना लागत आदि सहित ब्यौरे दें)	:

परियोजना का स्वरूप

1. परियोजना का नाम
2. परियोजना का स्थान (गांव/ब्लॉक/जिला/राज्य)
2.1 स्थान की श्रेणी
2.1.1 मैदानी क्षेत्र
2.1.2 पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्र
2.1.3 भूकम्प क्षेत्र
2.1.4 बाढ़/चक्रवात क्षेत्र
2.1.5 अन्य श्रेणी
3. किये जाने वाले प्रस्तावित कार्यो का ब्यौरा
3.1 आवास
3.1.1 निर्माण किये जाने वाले मकानों की संख्या
।) क्या मकानों का डिजाइन लाभार्थियों की सलाह से किया गया हैं
।।) मकान के डिजाइन में किया गया कोई नयापन
।।।) मकान का कुल क्षेत्रफल
।।।।) कृपया निम्न संलग्पनप करें
क) मकान का डिजाइन
ख) मकान की लागत का अनुमान/संक्षेप
3.1.2 निर्माण में इस्तेमाल के लिये प्रस्तावित अभिनव प्रौद्योगिकी, सामग्री आदि
।) दीवारें
।।) छत
।।।) दरवाजे/खिड़कियाँ
।।।।) फर्श
3.1.3 निर्माण किये जाने वाले स्वच्छ शौचालयों की संख्या
।) व्यक्तिगत
।।) सामुदायिक
(कृपया स्वच्छ शौचालयों के डिजाइन और लागत का ब्यौरा दें)
3.1.3 निर्माण किये जाने वाले स्वच्छ शौचालयों की संख्या
।) व्यक्तिगत
।।) सामुदायिक
(कृपया स्वच्छ शौचालयों के डिजाइन और लागत का ब्यौरा दें)
3.1.4 लगाये जाने वाले धुआंरहित चूल्हों की संख्या
3.2 विकास की जाने प्रस्तावित मूलभूत सुविधायें
3.2.1 सड़के/सड़कों को पक्का करना

3.2.2 नालियां बनाना

3.2.3 पेयजल सुविधायें

3.2.4 वृक्षारोपण

3.2.5 बायोगैस संयंत्र

3.2.6 अन्य

(हर कार्य मद की लागत)

3.3 प्रस्तावित सामुदायिक सुविधायें

3.3.1 समुदाय केन्द्र

3.3.2 विद्यालय भवन

3.3.3 स्वास्थ्य केन्द्र

3.3.4 पंचायत घर

3.3.5 अन्य कोई निर्माण

(काम के हर मद की लागत दी जानी चाहिये)

3.4 सामुदायिक सुविधाओं के लिये यदि किसी अभिनव प्रौद्योगिकी, सामग्री, डिजाइन का प्रस्ताव हो

3.5 प्रस्तावित अपारंपरिक उर्जा स्त्रोतों का इस्तेमाल

3.5.1 सौर कुकर

3.5.2 सौर लैम्प

3.5.3 अन्य

4. लाभार्थियों का ब्यौरा (कृपया लाभार्थियों की और उनके पूरे पतों का विवरण दे)

4.1 गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या

4.2 गैर-गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या

4.3 अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारों की संख्या

4.4 महिलाओं की संख्या

5. परियोजना को अमल में लाने के लिए क्या भूमि उपलब्ध हैं/ कब्जे में हैं

6. परियोजना की लागत का सारांश

(कृपया कार्य के हर मद की अनुमानित लागत दे)

7. अभिनव प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से मकानों/इमारतों आदि के निर्माण के पारंपरिक तरीकों के मुकाबले बचत

8. प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम

I. पुरूष

II. महिलायें

III. प्रौद्योगिकी

9. परियोजना को अमल में लाने के लिये जरूरी अवधि

10. अन्य कोई सूचना

दिनांक

स्थान अधिकृत प्राधिकारी के हस्ताक्षर

(अनुलग्नक - II)

अनुबंध

इन प्रस्तुतियों द्वारा सभी जान लें कि 1860 के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (21) के अंतर्गत पंजीकृत सोसायटी .....जिसका ..... राज्य में कार्यालय हैं (इसके बाद आभारी कहें जायेंगे), भारत के राष्ट्रपति, जो कि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव के द्वारा और उनकी ओर से कार्य कर रहे हैं (इसके बाद सरकार कहे जायेंगे), के प्रति उपस्थिति साक्षियों के की राशि को मांगे जाने पर पूरी तरह 6 प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ बिना किसी आपत्ति के, वापिस करेंगे । वर्ष ..... के दिन ..... को हस्ताक्षर किये गये ।

जबकि आभारियों के अनुरोध पर, सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के पत्र संख्या-..... दिनांक .....इसके बाद इसे अनुमोदन पत्र कहा जायेगा, जो इन प्रस्तुतियों का अंग हैं और जिसकी एक प्रति इसके साथ अनुलग्नक -क के रूप में संलग्न है, के जरिये आभारियों के पक्ष में रू0 ..... मात्र (रूपये ..... मात्र) का अनुदान ..... को काम के लिये देने को सहमत है, जिसमें से रू0 ..... मात्र आभारियों द्वारा इस शर्त्त पर प्राप्त किये जा चुके है कि वे इसके बाद की गई शर्त्तो और तरीके से एक अनुबंध करेंगे और जिसके लिये आभारी सहमत हो गये हैं ।

अब, उक्त लिखित अनुबंधपत्र की शर्त यह है कि अनुमोदन पत्र में उल्लिखित सभी शर्त्तो को यदि आभारी पूरा करते है और उनका पालन करते हैं, तो उक्त लिखित अनुबंध या अनुबंधपत्र अमान्य तथा प्रभावहीन हो जाएगा । मगर अन्यथा यह पूरे तरीके, शक्ति और ईमानदारी से लागू रहेगा :

क) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव इस मामले के प्रशासन से संबंधित भारत सरकार के मंत्रालय या विभाग के प्रशासनिक प्रमुख का यह फैसला अंतिम तथा आभारी को बाध्य होगा कि क्या अनुमोदन पत्र में दी गई शर्त्तो का आभारी ने अतिक्रमण या उल्लंघन किया है या नहीं ।

ख) अनुमोदन पत्र में दी गई शर्तो के अतिक्रमण या उल्लंघन की स्थिति में आभारी सरकार द्वारा मांगे जाने पर तथा बिना किसी आपत्ति के रू0 ..... (रूपये.....मात्र) की पूरी राशि अथवा सरकार द्वारा अपने विवेकाधिकार से तय मांग-पत्र में निर्दिष्ट उसका एक हिस्सा सरकार को लौटा देगा । साथ ही वह उस राशि को मिलने वाली तिथि से सरकार को लौटा देने की तिथि के बीच की अवधि के लिये 6 प्रतिशत (6 प्रतिशत) प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी देगा ।

ग) यह अनुबंध इस समय के भारतीय कानूनों से सभी मामलों में संचालित होगा और यदि जरूरत पड़ी तो भारत में उचित-कार्यालयों द्वारा अधिकारों और दायित्वों का फैसला किया जायेगा ।

घ) इन दस्तावेजों पर यदि कोई स्टाम्प शुल्क देय हुआ, तो सरकार उसे वहन करेगी ।

जिनके साक्ष्य में ये प्रस्तुतियां निम्नांनुसार आभारियों ने उपरोक्त दिनांक और वर्ष को निष्पादित की तथा भारत के राष्ट्रपति के लिये तथा उनकी ओर से ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षर के साथ लिखे दिनांक और वर्ष को निष्पादित की गई, आभारियों की ओर तथा उनके लिये हस्ताक्षर किये गये ।

आभारी

हस्ताक्षर तथा नाम साफ अक्षरों
संस्थान/संगठन की मुहर तथा पदनाम

प्रतिभू

यदि बॉड की शर्तो को पूरा न किया गया अथवा तोड़ा गया तो प्रतिभू अलग-2 तथा संयुक्त रूप से भारत के राष्ट्रपति को अनुदान की पूरी राशि 6 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज के साथ अथवा अनुबंध में निर्दिष्ट राशि को देने के लिये उतरदायी होंगे ।

प्रतिभू संख्या -1 नाम और पूरा पता

प्रतिभू संख्या -2 नाम और पूरा पता

इनकी उपस्थिति में

साक्षी : 1. नाम और पूरा पता हस्ताक्षर

2. नाम और पूरा पता हस्ताक्षर

भारत के राष्ट्रपति के लिये और उनकी ओर
से अनुबंध स्वीकृति किया

अनुबंध स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी का नाम और पद

(अनुलग्नक - III)

पूर्व- रसीद

ग्रामीण आवास और पर्यावास विकास के अभिनव कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण विकास के केन्द्रीय मंत्रालय के पत्र संख्या..... दिनांक ..... द्वारा अनुमोदित आवास परियोजना को पूरा करने के लिये राशि रू0 ..... मात्र (रूपये .....मात्र) डिमांड ड्राफ्ट/क्रास्ड बैंक संख्या ..... दिनांक..... द्वारा पहली/दुसरी/पूरी और अंतिम किश्त के तौर पर अनुदान के रूप में प्राप्त किये ।

हस्ताक्षर

(रसीदी टिकट पर)

सचिव/अध्यक्ष का नाम

कार्यालय की मुहर
(पूरे पते के साथ)

दिनांक -

स्थान -

(अनुलग्नक - iv)

ग्रामीण आवास और पर्यावास विकास का अभिनव कार्यक्रम त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट

मास ..... वर्ष ..... के लिए

1. संगठन/संस्था का नाम
2. परियोजना का नाम
3. परियोजना का स्थान
   (गांव/ब्लॉक/जिला/राज्य)
4. परियोजना की लगत

5. निधियां प्राप्त हुई
   i) इस योजना के तहत भारत सरकार से
   ii) किसी और योजना के तहत भारत सरकार से
   iii) राज्य सरकार
   iv) गैर-सरकारी संगठन/संस्था
   v) लाभार्थी
   vi) अन्य

   कुल :

6. अभिनव प्रौद्योगिकी, सामग्री आदि का विवरण
   जिनका इस्तेमाल निर्माण में हुआ
   I) मकान
   II) संरचनात्मक विकास कार्य
   III) सामुदायिक भवन/निर्माण
   iv) अन्य कार्य

7. पारंपरिक निर्माण के तरीकों के मुकाबले अभिनव प्रौद्योगिकी/सामग्री आदि को अपनाने से हुई बचत (कृपया तुलना करते हुए बचत को प्रतिशत में दिखायें)

8. नई निर्माण प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षित लोगों की संख्या
   I) पुरूष
   II) महिलायें
   III) प्रौद्योगिकियाँ/व्यवसाय

9. वास्तविक तथा वित्तीय प्रगति

क्र0सं0	कार्य का विवरण	संख्या/मात्रा.	निधि प्राप्त हुई		इस्तेमाल निधि	टिप्पणी
			संस्था	राशि		
क.	मकान					
I.	पूरे हुए मकान					
II.	बन रहे मकान					
	(क) नींव तक					
	(ख) खंभे के चौखूटे के स्तर तक					
	(ग) छत स्तर तक					
III.	सुधारे गये मकान					
iv.	स्वच्छ शौचालय बनाये गये					
v.	धुआंरहित चूल्हे लगाये गये					
ख.	संरचनात्मक विकास					
I.	सड़क कार्य					
II.	सड़क को पाटना					
III.	नालियाँ बनाना					
iv	पेय जल सुविधायें					
	क) सुविधायें					
	ख) टयूब वैल लगाये गये					
	ग) टैंक बनाये गये					
	घ) पाइपलाइन बिछाई गई					
	ड़) अन्य प्रणालियाँ					
	च) वृक्षारोपण					
ग.	सामुदायिक निर्माण					
I.	स्कूल भवन					
II.	सामुदायिक केंन्द्र					
III.	स्वास्थ्य केन्द्र					
iv	पंचायत घर					
v	अन्य निर्माण					
घ.	अन्य कोई कार्य					
			कुल			

दिनांक :

(अधिकृत प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर)